

राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग


क्रमांक प. 26(01)ज.सं./2019

जयपुर, दिनांक : 20 MAR 2020

आदेश

गृह (ग्रुप-9) विभाग से प्राप्त आदेश क्रमांक प.33(2)गृह-9/2019 दिनांक 19.03.2020 की अनुपालना में समस्त मुख्य अभियंता, अति0 मुख्य अभियंता एवं कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे राज्य सरकार के उक्त आदेश में आंशिक शटडाउन हेतु प्रदान किये गये निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुये अपने अधीन कार्यालयों में दिनांक 31.03.2020 तक प्रत्येक कार्यदिवस पर रोटेशन के आधार पर 50 प्रतिशत कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थिति एवं शेष 50 प्रतिशत कर्मचारियों का घर पर रहते हुये WORK FROM HOME सुनिश्चित करेंगे।


आज्ञा से



(निकिया गोहाएन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राज0 जयपुर।
4. मुख्य अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा/उत्तर, हनुमानगढ़/नर्मदा नहर परियोजना, सांचौर/एस.डब्ल्यू.आर.पी.डी., जयपुर/गुण नियंत्रण एवं सर्तकता, जयपुर।
5. अति0 मुख्य अभियंता, जल संसाधन संभाग जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
6. रक्षित पत्रावली


सहायक शासन सचिव

APR / 2020-2.
B.
20/03/2020